

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

:: कार्यवाही विवरण ::

भोपाल, दिनांक 11-04-2025

क्रमांक I/234488/2025/71/CC/2025/38 :: दिनांक 01.04.2025 को अपर मुख्य सचिव महोदय, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन संबंधी महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 से उच्च शिक्षा विभागांतर्गत संचालित संबद्धतादायी विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्रदान करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वर्ष 2025-26 से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उच्च शिक्षा विभागांतर्गत संचालित संबद्धतादायी विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की जानी है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा समय-सीमा में संबद्धता प्रदान करने एवं नियत समय पर कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश दिए गए -

- (1) चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल तथा विश्वविद्यालयों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किया जाये।
- (2) संचालक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल से अपेक्षा है कि वर्ष 2025-26 हेतु महाविद्यालयों को दिनांक 30 जुलाई, 2025 तक मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाये।
- (3) मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों के अध्यादेश एवं सिलेबस की प्रति उच्च शिक्षा विभाग को 30 अप्रैल, 2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराये जाएं, ताकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अध्यादेश एवं पाठ्यक्रमों का अनुमोदन विधि अनुसार माननीय कुलाधिपति महोदय से यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके।
- (4) आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा संबंधित नियामक संस्थाओं से मान्यता मिलने के एक माह की समय-सीमा में एन.ओ.सी. जारी की जाये एवं एन.ओ.सी. मिलने के उपरांत आगामी एक माह की समय-सीमा में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की जाये। सत्र 2025-26 हेतु मानक समय-सारणी निम्नानुसार होगी -

महाविद्यालयों की संबद्धता -

- (क) संबंधित काउंसिल द्वारा मान्यता प्रदान करना -01 जून, 2025 से 30 जुलाई, 2025
- (ख) आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा एन.ओ.सी. जारी करना-01 अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2025
- (ग) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान करना-01 सितंबर, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025

प्रवेश संबंधी कार्यवाही -

- (क) प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन एवं परिणाम घोषित करना -15 मई, 2025 से 31 जुलाई, 2025
- (ख) काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रदान करना - 01 अगस्त, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025
- (ग) नियमित कक्षाओं का संचालन -01 नवंबर, 2025 से

- (5) मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पंजीयक द्वारा सत्र 2024-25 हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रम, सीट संख्या आदि का विस्तृत विवरण उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 30.04.2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराये। इसी प्रकार सत्र 2025-26 हेतु प्रदान की गई मान्यता का विस्तृत विवरण दिनांक 15.08.2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराये।

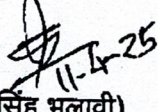


निरंतर 2

//2//

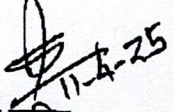
- (6) मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के पंजीयक द्वारा सत्र 2024-25 हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रम, सीट संख्या आदि का विस्तृत विवरण उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 30.04.2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध करायें। इसी प्रकार सत्र 2025-26 हेतु प्रदान की गई मान्यता का विस्तृत विवरण दिनांक 15.08.2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध करायें।
- (7) कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सत्र 2024-25 में महाविद्यालयों को प्रदान की गई संबद्धता की विस्तृत जानकारी दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उपलब्ध करायें।
- (8) उपरोक्त समस्त कार्यवाही पारदर्शी एवं ऑनलाइन मोड में की जावे तथा मान्यता, एन.ओ.सी. एवं संबद्धता संबंधी समस्त जानकारी संबंधित विभाग / संस्था / विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अनिवार्यतः समय पर अपलोड की जावे।

अपर मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।
(अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)


(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ.क्र. I/234488/2025/71/CC/2025/38, भोपाल, दिनांक 11-04-2025
प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल,
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
5. संचालक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
6. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, गोमंतिका परिसर, III फ्लोर, जवाहर चौक, भोपाल,
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल, तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मंदिर के पास, भोपाल,
8. कुलसचिव, समस्त संबद्धतादायी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश,
..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल